



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी-

दिनांक

-:सार्वजनिक सूचना:-

जविप्रा द्वारा अनुमोदित खोरा मीणा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विनायक धाम के भूखण्ड संख्या 115 व 116 का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)	योजना का नाम	आवंटी का नाम	प्रथम से विक्रय संबंधित अन/रजिस्टर्ड दस्तावेजों की चैन का विवरण	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	115	100.00	विनायक धाम	सविता कॅवर पत्नि श्री गिरधारी सिंह	खोरा मीणा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना विनायक धाम के भूखण्ड संख्या 115 का आवंटन पत्र, हिस्सा राशि प्रमाण पत्र, रसीद श्रीमति सविता कॅवर पत्नि श्री गिरधारी सिंह के नाम से जारी किया गया। किन्तु विकास समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्य सूची में उक्त आवेदक का नाम अंकित नहीं है।	श्रीमति सविता कॅवर पत्नि श्री गिरधारी सिंह निवासी 17 गगन विहार, निवारु रोड, झोटवाडा, जयपुर।
2	116	100.00		गिरधारी सिंह पुत्र श्री मूल सिंह	खोरा मीणा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना विनायक धाम के भूखण्ड संख्या 116 का आवंटन पत्र, हिस्सा राशि प्रमाण पत्र, रसीद श्री गिरधारी सिंह पुत्र श्री मूल सिंह के नाम से जारी की गई। किन्तु विकास समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्य सूची में उक्त आवेदक का नाम अंकित नहीं है।	श्री गिरधारी सिंह पुत्र श्री मूल सिंह निवासी 17 गगन विहार, झोटवाडा, जयपुर।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर फ्री होल्ड लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/जोन-12/2022/डी-2502

दिनांक 26-8-2022

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी-2501

दिनांक 26-8-2022

:- सार्वजनिक सूचना :-

निजी खातेदारी की आवासीय योजना सनसिटी के भूखण्ड संख्या 111 क्षेत्रफल 194.62 व.ग. का विवरण निम्नानुसार है :-

क. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)	योजना का नाम	मूल आवंटी का नाम	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	111	194.62	प्रेस्टीज गार्डन विस्तार	श्री करण सिंह बडेसरा पुत्र स्व. चौधरी ओमकार सिंह	श्रीमती आशा दुल पत्नी श्री अन्नत कुमार दुल, निवासी-मकान नं. ई-46, सुशान्त लोक- II, सेक्टर-56, गुडगांव हरियाणा।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण के आधार पर नाम हस्तान्तरण करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा / उपा / जोन-5 / 2022 / डी-2523

दिनांक:- 25-8-22

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	ग. नि. स. स. / निजी खातेदारी/ जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती प्रीति गोयल पत्नी श्री सतीश गोयल	श्री महेन्द्र सांगी पुत्र श्री राजमल सांगी	257	233.3	मोती भवन	स्वामी विहार	नियमन एवं पट्टा विलेख	अपंजीकृत इकरारनामा
2.	श्री विजय प्रकाश अग्रवाल एवं श्रीमती श्रद्धा अग्रवाल	श्री रमेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता	71	250.00	नव जीवन	गोपालपुरा सी	नियमन एवं पट्टा विलेख	अपंजीकृत इकरारनामा
3.	श्रीमती कुसुमलता अरोड़ा पत्नी श्री प्रेम कुमार अरोड़ा	श्री मोरी लाल सैनी पुत्र श्री गेन्द्री लाल	140 बी	241.00	मोती भवन	स्वामी विहार	नियमन एवं पट्टा विलेख	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हकत्याग पत्र
4.	श्री पुरुषोत्तम सैनी, श्री दुर्गालाल सैनी एवं श्री नितेश सैनी	श्री मुन्ना लाल पुत्र श्री श्रवण लाल	एफ-88	216.28	अपोलो नगर हा.	राम नगर-एफ	नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड पट्टा बाबत	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हकत्याग पत्र
5.	श्री रवि तंवर एवं श्री अजय तंवर	श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री रतन सिंह	277	200.00	जल महल हा.	विश्वकर्मा नगर-1-ग	नियमन एवं पट्टा विलेख	अपंजीकृत इकरारनामा
6.	श्री सुनील अवस्थी पुत्र श्री राम कृष्ण अवस्थी	श्रीमती प्रेम देवी अत्री पत्नी श्री जुगल किशोर	470 बी	219.7	लंकापुरी	शांति नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	अपंजीकृत इकरारनामा

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2563234} : ईमेल एक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} : फैक्स - +91-141-2574555

25/8/22 R-1401



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

	अत्री	जुगल किशोर अत्री						
8.	श्री रामवतार शर्मा पुत्र श्री बदी नारायण शर्मा	श्री गंगाराम शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय शर्मा	623	166.6	लंकापुरी	शांति नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	अपजीकृत इकरारनामा
9.	श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री रूढमल शर्मा	श्री प्रभूदयाल	625	166.6	लंकापुरी	शांति नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	सदस्यता सूची में भिन्न नाम अंकित होने बाबत
10.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रूढमल शर्मा	श्री मैरू सिंह	626	166.6	लंकापुरी	शांति नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	सदस्यता सूची में भिन्न नाम अंकित होने बाबत
11.	श्रीमती राधा महरोत्रा पत्नी श्री अरुण कुमार	श्री अमित टांक	4 बी (छ.हि.) 4 बी (द.हि.)	279.86	नव जीवन	कृष्णा नगर	फ्री होल्ड पट्टा	दस्तावेज गुम होने बाबत।

PRD/1401
26/8/22

उपस्थित जोन-5
जयपुर, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा साकिल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) ईपीबीएक्स - (+91-141-2569696) एकसंदेशन : {8250} फैक्स - (+91-141-2574555)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:- प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत नियमन शिविर के सम्बन्ध में।

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमति नारंगी देवी पत्नी श्री प्रभुदयाल सैनी	श्री सीताराम पुत्र श्री भंवर लाल	पुराना 15वीं नया 137	9.44 वर्.मी.	म्युचुअल हॉ.कॉ-ओ. सो.लि0	स्कीम नम्बर-25	लीजडीड जारी करने हेतु	भूखण्ड के सृजन के सम्बन्ध में।

उपायुक्त जोन-6
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे।

यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.जोन-06/22/डी-9512

दिनांक: 24/8/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-491-141-2570256; ईमेल-0141-7118...एक्सटेंशन:7118;

ई-मेल: (rajasthan.gov.in)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2022/डी- 1908

दिनांक 26-08-2022

विज्ञप्ति / सूचना

आवेदक द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के फ्रीहोल्ड पट्टा जारी करने हेतु ऑफलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदिका के पक्ष में फ्रीहोल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल पट्टाधारी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	11	इन्द्रा नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना चन्द्रकला कॉलोनी	श्री जवाहर लाल जाट पुत्र स्व. श्री अमराराम	श्री जवाहर लाल पुत्र श्री अमरा राम बोचलिया	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान एवं रसीद के आधार पर।

—sd—
उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।
- सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करे।

26/08/22
उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन-4/2022/डी-1906

दिनांक. 26-08-2022

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	गृ. नि. स. स.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	जी-68	न्यू पिकसिटी	सिद्धार्थ नगर	श्री चन्द्रमोहन माथुर पुत्र श्री मोहन लाल माथुर	श्रीमती इन्द्रा अग्रवाल पत्नी श्री डा० जी.डी. अग्रवाल	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 22.07.1999, 03.01.2000, 25.07.2001 एवं 03.08.2001 शपथ पत्र आदि।
2	नया सी-522 (पुराना सी-427)	न्यू पिकसिटी	सिद्धार्थ नगर-सी	श्रीमती उषा रानी सिधंल पत्नी स्व. श्री विजय कुमार सिधंल	श्रीमती विद्या शेखावत पत्नी श्री भंवरलाल	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 13.08.1999 एवं 27.05.2000, नाम हस्तान्तरण श्रीमती भावना महला के पक्ष में, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.02.2005, 14.05.2012 एवं 07.09.2012 शपथ पत्र दिनांक 12.02.2013 आदि।
3	सी-10	सिन्धु नगर कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी लि.	छत्रसाल नगर	श्रीमती रामगीरी यादव पत्नी श्री सुभाष चन्द यादव	श्री अनिल कुमार यादव पुत्र श्री हरीसिंह यादव	आवंटन पत्र दिनांक 02.11.1980 अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 12.02.2005 थाना जवाहर सर्किल जयपुर गुमशुदगी मूल रसीद की प्रति दिनांक 24.06.2021 शपथ पत्र दिनांक 29.06.2021 एवं पंच निर्णायक एवं निरीक्षक से प्राप्त निर्णय दिनांक 05.05.2022 की छाया प्रति इत्यादि।

प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
- सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - 91-141-2569696 एक्सटेंशन - 8240 ई. गेज

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक LU2012/JDA/2022-23/102015

दिनांक: 23/08/2022

लोक सूचना

मैसर्स गोकुलधाम फार्मस प्रा.लि. जरिये निदेशक रवि अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश चन्द अग्रवाल एवं रामप्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल पंजीकृत कार्यालय जी बिजनेस पार्क, प्लॉट नं. डी-34, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

ये इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वेयर हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1	बगरूखुर्द, सांगानेर (जयपुर)	मैसर्स गोकुलधाम फार्मस प्रा.लि. जरिये पंजीकृत कार्यालय जी बिजनेस पार्क, प्लॉट नं. डी-34, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	37	11700	1.17
			38/1	4900	0.49
			39/2	770	0.077
			कुल		1.737

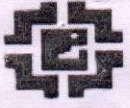
इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक वस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 23-08-2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

PR/R-1400
26/8/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

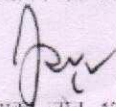
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरी के सम अभियान-2021 के तहत जोन 12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवेदक का नाम	मुखण्ड संख्या	मुखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.रा.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	डॉ. अनिल दीगड़ा पुत्र श्री धर्मचन्द दीगड़ा	श्रीमती सुदेश दीगड़ा पति श्री धर्मचन्द दीगड़ा	4 (वैली पार्क/ईस्ट एवेन्यू)	250.03 च.मी	निजी खातेदारी	वाटिका इन्फोटेक सिटी	नाम हस्तान्तरण/लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड वसीयतनामा व सजरा प्रमाण पत्र अनुसार

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये अन्यथा नियमानुसार उक्त मुखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।


उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/जोन-12/2022/डी-245)
दिनांक 29-8-2022

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004
दूरभाष +91 141 2574798 ईपीबीएक्स +91 141-2569696 एक्सटे. 8340 फैक्स +91 141-2574555

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/उपा/जोन-11/90ए/2022/डी-2267

दिनांक 26/8/22

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार मैसर्स सेटिसफैक्शन होम्स एल.एल.पी. पंजीकृत कार्यालय चार जिलेदार हाउस, कच्चा बंधा, आमेर रोड, जयपुर जरिये मुख्यारआम नितिन केडिया पुत्र श्री शिव कुमार केडिया निवासी-32, केडिया हाँउस, नाडी का फाटक, बैनाड़ रोड़, मुरलीपुरा, जयपुर राजस्थान बहैसियत साझेदार केडिया रियल एस्टेट एल.एल.पी. पंजीकृत कार्यालय दुकान नं. 10-11, गणेश नगर, नाडी का फाटक, जयपुर द्वारा ग्राम भग्भौरिया तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 269 रकबा 0.31 हैक्ट. ख.नं. 270 रकबा 0.19 हैक्ट. ख.नं. 493 रकबा 0.76 हैक्ट. ख.नं. 494 रकबा 0.28 हैक्ट. ख.नं. 495 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 496 रकबा 0.13 हैक्ट. ख.नं. 497 रकबा 1.01 हैक्ट. ख.नं. 498 रकबा 0.65 हैक्ट. ख.नं. 499 रकबा 0.60 हैक्ट. ख.नं. 500 रकबा 0.42 हैक्ट. ख.नं. 501 रकबा 0.46 हैक्ट. ख.नं. 502 रकबा 0.31 हैक्ट. ख.नं. 503 रकबा 0.33 हैक्ट. ख.नं. 504 रकबा 0.05 हैक्ट. ख.नं. 505 रकबा 0.05 हैक्ट. ख.नं. 506 रकबा 0.05 हैक्ट. ख.नं. 507 रकबा 0.30 हैक्ट. ख.नं. 509 रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 510 रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 511 रकबा 1.12 हैक्ट. ख.नं. 514 रकबा 0.05 हैक्ट. ख.नं. 515 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 516 रकबा 0.47 हैक्ट. ख.नं. 520 रकबा 0.26 हैक्ट. ख.नं. 521 रकबा 0.12 हैक्ट. ख.नं. 522 रकबा 0.42 हैक्ट. ख.नं. 523 रकबा 0.48 हैक्ट. कुल किता 27 कुल रकबा 9.04 हैक्ट. में आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ मान्यित्र अनुमोदन किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम भग्भौरिया तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 269 रकबा 0.31 हैक्ट. ख.नं. 270 रकबा 0.19 हैक्ट. ख.नं. 493 रकबा 0.76 हैक्ट. ख.नं. 494 रकबा 0.28 हैक्ट. ख.नं. 495 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 496 रकबा 0.13 हैक्ट. ख.नं. 497 रकबा 1.01 हैक्ट. ख.नं. 498 रकबा 0.65 हैक्ट. ख.नं. 499 रकबा 0.60 हैक्ट. ख.नं. 500 रकबा 0.42 हैक्ट. ख.नं. 501 रकबा 0.46 हैक्ट. ख.नं. 502 रकबा 0.31 हैक्ट. ख.नं. 503 रकबा 0.33 हैक्ट. ख.नं. 504 रकबा 0.05 हैक्ट. ख.नं. 505 रकबा 0.05 हैक्ट. ख.नं. 506 रकबा 0.05 हैक्ट. ख.नं. 507 रकबा 0.30 हैक्ट. ख.नं. 509 रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 510 रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 511 रकबा 1.12 हैक्ट. ख.नं. 514 रकबा 0.05 हैक्ट. ख.नं. 515 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 516 रकबा 0.47 हैक्ट. ख.नं. 520 रकबा 0.26 हैक्ट. ख.नं. 521 रकबा 0.12 हैक्ट. ख.नं. 522 रकबा 0.42 हैक्ट. ख.नं. 523 रकबा 0.48 हैक्ट. कुल किता 27 कुल रकबा 9.04 हैक्ट. भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 03.07.2018 को पारीत किया गया था। प्रकरण में 90-क की कार्यवाही किये हुये 1 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अतः प्रकरण में जविप्रा, जयपुर की बी.पी.सी.(एल.पी.) की 297वी बैठक दिनांक 15.3.2021 के नीतिगत निर्णय की अनुपालना में सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।

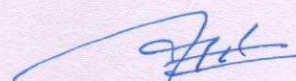
अतः उक्त ग्राम भग्भौरिया तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 269 रकबा 0.31 हैक्ट. ख.नं. 270 रकबा 0.19 हैक्ट. ख.नं. 493 रकबा 0.76 हैक्ट. ख.नं. 494 रकबा 0.28 हैक्ट. ख.नं. 495 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 496 रकबा 0.13 हैक्ट. ख.नं. 497 रकबा 1.01 हैक्ट. ख.नं. 498 रकबा 0.65 हैक्ट. ख.नं. 499 रकबा 0.60 हैक्ट. ख.नं. 500 रकबा 0.42 हैक्ट. ख.नं. 501 रकबा 0.46 हैक्ट. ख.नं. 502 रकबा 0.31 हैक्ट. ख.नं. 503 रकबा 0.33 हैक्ट. ख.नं. 504 रकबा


उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

0.05 हैक्ट. ख.नं. 505 रकबा 0.05 हैक्ट. ख.नं. 506 रकबा 0.05 हैक्ट. ख.नं. 507 रकबा 0.30 हैक्ट. ख.नं. 509 रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 510 रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 511 रकबा 1.12 हैक्ट. ख.नं. 514 रकबा 0.05 हैक्ट. ख.नं. 515 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 516 रकबा 0.47 हैक्ट. ख.नं. 520 रकबा 0.26 हैक्ट. ख.नं. 521 रकबा 0.12 हैक्ट. ख.नं. 522 रकबा 0.42 हैक्ट. ख.नं. 523 रकबा 0.48 हैक्ट. कुल किता 27 कुल रकबा 9.04 हैक्ट. आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) में मानचित्र जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26/8/22 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
ज.वि.प्रा. जयपुर

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आठ की फोन्ट साईट में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावें।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
ज.वि.प्रा. जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीज डीडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.ग.	मू.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री महावीर कुमार जैन	श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री महावीर कुमार जैन	ए-280बी एवं ए-281बी	879.50	संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नगर	लीज डीड	आवेदन पत्र, साईट प्लान, रसीद
2	श्री रिषी फतेहपुरिया पुत्र श्री राज कुमार फतेहपुरिया	श्री कपिल, श्री कपिल मनोज कुमार अग्रवाल चन्द कान्ता देवी अग्रवाल	309, 310, 329, 330	2000.00	संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नगर	लीज डीड	आवेदन पत्र, साईट प्लान, रसीद विक्रय पत्र
3	श्री रिषी फतेहपुरिया पुत्र श्री राज कुमार फतेहपुरिया	त्रिलोक चंद अग्रवाल मोनल अग्रवाल योनि अग्रवाल	306, 307, 308, 331	1777.50	संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नगर	लीज डीड	आवेदन पत्र, साईट प्लान, रसीद विक्रय पत्र

उपायुक्त

पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम),
जविप्रा, जयपुर

जन संपर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर

यू ओ नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम)/22022/डी

1828

दिनांक: 26.08.22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी- 5168

दिनांक:- 26/8/22

सार्वजनिक विज्ञप्ति

मैसर्स स्काईरेज रियलटर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक भगवान सहाय चौधरी पुत्र श्री रघुनाथ सहाय चौधरी एवं श्री नितिन जैन पुत्र श्री रमेश चन्द जैन, रजिस्टर्ड ऑफिस एन-19, आदिनाथ कॉलोनी, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर-17 द्वारा ग्राम जयपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 166/2/0.14 हैक्टेयर, 167/2/0.11 हैक्टेयर, 168/0.03 हैक्टेयर, 169/2/0.14 हैक्टेयर, 170/2/0.02 हैक्टेयर, 171/2/0.01 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 0.45 हैक्टेयर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ जारी एकल पट्टा भूमि क्षेत्रफल 3903.94 वर्ग गज में आवासीय योजना अनुमोदन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त भूमि की 90-बी आदेश मामला संख्या 123/07 निर्णय दिनांक 26.09.2007 एवं ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा दिनांक 03.10.2008 को श्री काना पुत्र लछमन के नाम जारी किया गया था। तत्पश्चात उक्त भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.10.2008 से किये जाने पर पत्रांक डी-4564 दिनांक 14.11.2008 को नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किया गया।

अतः उक्त भूमि पर आवासीय योजना अनुमोदन के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारक को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर